

उ०प्र० शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या-451/60-3-10-2(41)/10
लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2011

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में भारत सरकार की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु " State Criminal Injuries Relief and Rehabilitation Board" का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | आयुक्त समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 3. | प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 4. | प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 5. | प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 6. | प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, विभाग, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 7. | प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 8. | पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 9. | निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 10. | श्रीमती साहिबा हुसैन, बेंटी फाउण्डेशन (एन०जी०ओ०) लखनऊ। | सदस्य सचिव |
| 11. | सुश्री अलका, निदेशक, महिला समाख्या (एन०जी०ओ०) लखनऊ। | सदस्य |
| 12. | अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | सदस्य |
- 2- बोर्ड का कार्यकाल आदेश निर्गत करने की तिथि से तीन वर्ष होगा।

Dr. Meena
(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-451(1)/60-3-11, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. निजी सचिव, आयुक्त समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
 2. बोर्ड के समस्त सदस्यगण।
 3. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
 4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० प्रभा मिश्रा)
उप सचिव।